गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2015 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2015 को दोपहर 02:30 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 एस.पी. सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
05.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
06.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
07.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
08.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
09.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
10.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार पटेल	सदस्य
11.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
12.	प्रो0 एस.व्ही.एस. चौहान	विशेष आमंत्रित
13.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
15.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
16.	श्री सूरज कुमार मेहर, उप-कुलसचिव (अकादमिक)	

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा इस सत्र हेतु विश्वविद्यालय में प्राप्त हो रहे प्रवेश आवेदन पत्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के संबंध में सदस्यों को अवगत कराया जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 एवं 24.04.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 एवं 24.04.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जाय।

विषय क0-02. **परीक्षा अनुशासन समिति के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु की गई अपील पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी.टेक सप्तम सेमेस्टर-केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र श्री प्रकाश चंद्र बलिवाल के अनुचित साधन प्रयोग के कारण परीक्षा अनुशासन समिति की अनुशंसानुसार दिये गये दण्ड संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को अमान्य किया जाय। पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाय।

विषय क0-03. **दूरवर्ती शिक्षा संस्थान से संबंधित उपाधि (कोरा प्रपत्र) मुद्रण कराने विषयक।**

प्रस्तुत प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस वर्ष में जो प्रारूप प्रभावी था, उस वर्ष में उसी प्रारूप में टंकण त्रुटि/वर्तनी त्रुटियों को सुधार कर उपाधि प्रारूप मुद्रित कराया जाय।

विषय क0-04. **M.B.A. IV Sem. के कोड क्रमांक AU-6454 Human Resource Planing & Development विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी।**

निर्णय लिया गया कि संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के द्वारा 05 नामों का पैनल माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इस पैनल से ही मूल्यांकनकर्ता का चयन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉ0 हरीश कुमार के संबंध में ऐसे ही पूर्व में जो शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, उन्हें भी एकत्रित/सूचीबद्ध कर प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-05. **मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में विचार करना।**

प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में पूर्ण विचारोपरान्त यह अंकित किया गया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन छात्रा द्वारा नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर विश्वविद्यालय की प्रक्रिया से पृथक मूल्यांकन प्रक्रिया कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि छात्रा का अभ्यावेदन अमान्य किया जाय।

विषय क0-06. **Choice based credit system (CBCS) के कारण IUMS में संशोधन विषयक।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष-संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, परीक्षा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आई.टी.), डॉ0 विनय सिंह एवं श्री अखिलेश झा को सम्मिलित कर एक विशेषज्ञ समिति बनाकर इस कार्य को आई.यू.एम.एस. से सम्पन्न कराने हेतु 07 दिवस में कार्यवाही कर, कुलपति महोदय के समक्ष प्रतिवेदन कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-07. **विश्वविद्यालय उत्तरपुस्तिकाओं के क्रय करने विषयक।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका में 32 पृष्ठ रखे जाये तथा परीक्षार्थियों के निर्देशों को अंग्रेजी में अंतिम पृष्ठ के पार्श्व में अंकित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि पूरक उत्तर पुस्तिका में 12 पृष्ठ रखे जाये।

विषय क0-08. **विश्वविद्यालय में नेशनल वोकेशनल एज्युकेशन क्वालिफिकेशन योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम लागू करने हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण प्रस्ताव पर पुनः विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित "Diploma in Dhokra Art" पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया जाय। अन्य पाठ्यक्रमों के संबंध में पृथक से प्रस्ताव आने पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क0-09. **अभ्यर्थी श्री हर्षवर्धन पाण्डेय को सत्र 2012-13 की प्रावीण्यता सूची के आधार पर 2015-16 में पीएच.डी. पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रवेश दिये जाने के संबंध में विधिक अभिमत पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में प्राप्त विधिक अभिमत को मान्य करते हुए पूर्व निर्णय को यथावत् रखा जाय। तद्नुसार आवेदक को सूचित कर दिया जाय।

विषय क0-10. **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.03.2015 विषय क्रमांक-24 अ.अ. में लिये गये निर्णय पर विचार करने बाबत्।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाय :-

01.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	संयोजक
02.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
03.	डॉ0 श्रीमती रश्मि अग्रवाल	सदस्य

उक्त समिति एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विषय क0-11. **सीताराम जिंदल फाउण्डेश्यान द्वारा गोल्ड मेडल अवार्ड के संबंध में विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दानदाता ''सीताराम जिंदल फाउंडेशन'' के द्वारा प्रस्तावित गोल्ड मेडल के प्रारूप पर वास्तविक व्यय का आकलन वर्तमान में प्रचलित दर पर कर लिया जाय और यदि जमा किये जाने हेतु प्रस्तावित राशि पर्याप्त हो तो इसके जमा होने की तिथि से एक वर्ष बाद के ब्याज में प्रस्ताव प्रभावी किया जाय अन्यथा राशि पर्याप्त नहीं होने पर दानदाता को तद्नुसार सूचित किया जाय।

विषय क0-12. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन्नयन उपरान्त पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व व्यवस्था को निरंतर जारी रखा जाय।

विषय क0-13. **विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृति के साथ श्री निशान्त बेहार, सहायक प्राध्यापक, (कम्प्यूअर साईस एण्ड इंजी) आई.टी. को अध्ययन अवकाश के स्थान पर गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के आई.टी. में पीएच.डी. कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजी में VRET Exampted केटेगरी के तहत परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण को विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विभागीय शोध समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही किया जाय।

विषय क0-14. ट्रांसक्रिप्ट शुल्क निर्धारित करने के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्न संशोधन को समाहित करते हुए मान्य किया जाय :-

''प्रथम प्रति रूपये 400/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त प्रति हेतु रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र) शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।''

विषय क0-15. दो परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में गलत तिथि में समय अंकित होने संबंधी।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय :-

01.	प्रो0 अमित सक्सेना	संयोजक
02.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
03.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य

उक्त समिति तथ्यात्मक प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

विषय क0-16. RGNF/NFO/ मौलाना आजाद फेलोशिप में चयन शोधार्थी के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क0-17. अवकाश अवधि में विभाग में बिना अनुमति के एवं बिना किसी सूचना के प्रवेश करने संबंधी।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अवकाश दिवसों में शोध कार्य हेतु संबंधित शोध निर्देशक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। शोध निर्देशक की लिखित अनुमति पर विभागीय शोधार्थियों को अवकाश दिवसों में शोध कार्य करने की सुविधा जी जाय।

विषय क0-18. अन्य संस्थानों में पीएच.डी. करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

01. श्री संतोष सोनी के प्रकरण को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
02. श्री अतुल साहू एवं श्री नितिन कुमार साहू के प्रकरण में अंश कालीन शोध कार्य से संबंधित नियमावली/विनियम/अध्यादेश जो भी प्रचलित हो उसे संबंधित संस्थान से प्राप्त कर विश्वविद्यालय के समतुल्यंता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-19. मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के संबंध में।

प्रस्तुत प्रकरण को कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क0-20. **बी.टेक प्रथम वर्ष के अकादमिक मामले हेतु एक विद्धत समिति के गठन संबंधी।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में पृथक अध्ययन मण्डल के गठन पर अन्यथा निर्णय होने तक संबंधित अध्ययनशाला अकादमिक प्रकरणों का निराकरण करेगी।

विषय क0-21. **रिक्त सीटों को भरने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन पर विचार किये जाने संबंधी।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्ष की भांति प्रवेश परीक्षा एवं काउंसिलिंग के माध्यम से प्राविण्यता क्रम में स्थानों की पूर्ति उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर प्रवेश देने हेतु नियमानुसार पूर्व वर्ष की भांति संबंधित विभागाध्यक्ष अधिकृत रहेंगे।

इस संबंध में रिक्त स्थानों हेतु पृथक से विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी अपितु प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाय।

समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष काउंसिलिंग हेतु दिनांक 01.07.2015 तक तिथियां घोषित करेंगे तथा समस्त प्रवेश प्रक्रिया 15 जुलाई तक समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विषय क0-22. **कम्युनिटी कालेज योजना के तहत अध्ययनशालाओं के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।**

विचारोपरान्त सिद्धांतः प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया, किन्तु पर्याप्त अधोसंरचना के विकास एवं स्थापना उपरान्त ही सत्र 2016-17 से प्रस्तावित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जाय।

विषय क0-23. **पीएच. डी. रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत अधिसूचना जारी किये जाने संबंधी।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय की प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप परिशिष्ट-12B अनुमोदित की जाय तथा यह स्पष्टतः अंकित किया जाय कि शोध उपाधि की अधिसूचना "Regulation for the Admission, Evaluation and Award of Degree of Ph.D., 2009" as per the provisions of Ph.D. Ordinance of Guru Ghasidas Vishwavidyalaya के अंतर्गत जारी की गई है।

विषय क0-24. **डॉ0 गोपा बागची, सह प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष का प्रभार प्रदान किये जाने पर विचार।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डॉ0 श्रीमती गोपा बागची, सह-आचार्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विभागाध्यक्ष का प्रभार दिया जाय।

विषय क0-25. **श्री आलोक कुमार दुबे तदर्थ सहायक प्राध्यापक के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर के पारिश्रमिक भुगतान संबंधी।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री आलोक दुबे को विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं सत्यापन के आधार पर किये गये कार्य की अवधि ~~की~~ अवधि के शेष पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.विषय क्र.01. विश्वविद्यालय में इंटरनेट सुविधा प्रायः बाधित रहने एवं आईयूएमएस की स्पीड प्रायः अत्यंत कम रहने संबंधी।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोपनीय शाखा को परीक्षा परीणामों की घोषणा करने हेतु इंटरनेट की वैकल्पिक (ब्रॉडबैण्ड की) सुविधा उपलब्ध करायी जाय, जिससे वर्तमान प्रणाली के कार्य न करने पर कार्य निरंतर चल सके। प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्य बिन्दुओं के संदर्भ में आईयूएमएस को पत्र जारी किया जाय।

अ.अ.विषय क्र.02. छात्रों हेतु संस्थान परिसर के अंदर एवं बाहर सुरक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका पर विचार करना।

विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलानुशासक मण्डल एवं सुरक्षा अधिकारी कार्यवाही करेंगे तथा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अ.अ.विषय क्र.03. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में जियोग्राफी एवं जियोस्पाटिकल टेक्नालॉजी विभाग खोले जाने पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पर्याप्त अधोसंरचना एवं स्थापना का विकास करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण पर विचार किया जाय।

अ.अ.विषय क्र.04. सड़क दुर्घटना में घायल छात्रा कु0 सुप्रीत कौर–बी.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर की आगामी परीक्षा रायपुर में कराने संबंधी पत्र पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि संबंधित अध्यादेश में विशेष प्रकरण हेतु संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः अध्यादेश का पालन करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

अ.अ.विषय क्र.05. नये मोनो से अंकसूची (हस्तलिखित) का मुद्रण कराने के संबंध में।

पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस वर्ष में जो प्रारूप प्रभावी था उस वर्ष में उसी प्रारूप में टंकण त्रुटी/वर्तनी त्रुटी को सुधार कर अंकसूची मुद्रित कराया जाय।

अ.अ.विषय क्र.06. बी.टेक प्रथम वर्ष के छात्रों से प्रवेश के समय स्थानन सहायता शुल्क (Placement Assistanc Fee) लेने के संबंध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अमान्य किया गया।

अ.अ.विषय क्र.07. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में अस्थायी शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करना।

विचारोपरान्त कुलपति महोदय के द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 15.06.2015 एवं 19.06.2015 के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागाध्यक्षों की मांग एवं विभाग के कार्यभार के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पूर्णतः अस्थायी रूप से स्थानीय चयन समिति के माध्यम से अधिकतम रूपये 25,000/– नियत पारिश्रमिक प्रतिमाह की दर से अध्यापन कार्य हेतु अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किया जाय।

अ.अ.विषय क्र.08. विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं द्वारा यह ध्यानाकर्षित कराया गया कि विभिन्न विषयों/शोध विषय वस्तु पर शोध कार्य के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा शोध अन्वेषकों को 10 प्रतिशत राशि इंस्टीट्यूशनल/ओवरहेड स्वीकृत किये जाते है, उक्त राशि का व्यय वितरण निम्नानुसार स्वीकृत किये जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :–

01.	विश्वविद्यालय स्तर	30 प्रतिशत
02.	प्रोजेक्ट/डिपार्टमेंट (वांछित अधोसंरचना की व्यवस्था हेतु/शोध कार्य के संचालन हेतु आर्टिकल्स की व्यवस्था बाबत्)	70 प्रतिशत

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अ.अ.विषय क्र.09. विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्य श्री प्रवेश दलई के प्रकरण पर चर्चा की गई कि उन्हें आवासीय परिसर में आबंटित आवास में पारिवारिक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त स्थान पर अस्थायी रूप से उनके स्वयं के व्यय पर निर्माण कार्य कराये जाने की अनुमति दी जाय, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें असुविधा हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि उनके द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य का व्यय भार वे स्वयं वहन करेंगे तथा उक्त व्यय भार की पूर्ति विश्वविद्यालय से नहीं करायेंगे एवं उक्त अतिरिक्त निर्मित संरचना विश्वविद्यालय की सम्पत्ति होगी।

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने श्री प्रवेश दलई की पारिवारिक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अतिरिक्त निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

26/6/15 — 26.06.15

कुलपति/अध्यक्ष — **कुलसचिव (कार्यवाहक)**